



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1107]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 1107]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

**का.आ. 1243(अ).**—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उप-धारा [1] [क क] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है—

### विशेष कार्य बल (एस टी एफ) का गठन

यह पाया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में निर्माण कार्यकलापों और भूमि उपयोग से संबंधित भवन निर्माण उपविधि और दिल्ली मुख्य योजना-2021 के उपबंधों के कुछ उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक भूमि, पार्किंग स्थलों, सड़कों, पटरियों आदि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमणों की समस्या भी ध्यान में आई है। यह प्रतीत होता है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी है और इस संबंध में लागू अधिनियम के उपबंधों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कार्य सौंपे जाने वाले ऐसे प्राधिकारियों द्वारा समय पर और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

2. उपर्युक्त के आलोक में, उपर्युक्त मामलों का व्यापक रूप से समाधान करने और दिल्ली मुख्य योजना-2021 के उपबंधों तथा दिल्ली की एकीकृत भवन निर्माण उपविधियों को लागू करने के कार्य को देखने के लिए निम्नलिखित संघटक के अनुसार एतद्वारा विशेष कार्यबल का गठन किया जाता है:

1.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)	—	अध्यक्ष
2.	उप-राज्यपाल के सचिव	—	सदस्य
3.	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	—	सदस्य
4.	आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
5.	आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
6.	आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम	—	सदस्य
7.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड	—	सदस्य
8.	सचिव/आयुक्त, परिवहन, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	—	सदस्य
9.	सचिव, शहरी विकास/निदेशक स्थानीय निकाय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	—	सदस्य
10.	सचिव, राजस्व/मंडल आयुक्त, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	—	सदस्य

11.	विशेष आयुक्त, पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), दिल्ली पुलिस	—	सदस्य
12.	विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात), दिल्ली पुलिस	—	सदस्य
13.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	—	सदस्य
14.	केन्द्रीय भूजल बोर्ड के प्रतिनिधि	—	सदस्य
15.	मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी), (भा.रा.रा.प्रा.)	—	सदस्य
16.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रा.रा.क्षे.—दिल्ली सरकार	—	सदस्य
17.	उप अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	—	सदस्य
18.	अधीक्षण अभियंता, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	—	सदस्य
19.	आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.	—	सदस्य सचिव

### 3. विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के लक्ष्य:

- रा.रा. क्षे. दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों की पहचान करना और अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि पर पुनः दावा करना।
- रा.रा. क्षेत्र दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के संबंध में भारत सरकार को कार्रवाई करने का सुझाव देना और इसका निपटारा होने तक नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- विशेषकर उपयोग के उल्लंघन और अनधिकृत निर्माण के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा लागू विधियों के प्रभावी और उचित प्रवर्तन का निरीक्षण करना।
- उपयोग के उल्लंघन और अनधिकृत निर्माण के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना।
- रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न भागों में यातायात की भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करना और स्थानीय निकायों तथा अन्य एजेंसियों को इसका समाधान करने के उपायों का सुझाव देना।
- यह देखना कि यातायात विशेषज्ञों, योजनाकारों और एकीकृत यातायात एवं परिवहन अवसंरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र (यूटीटीआईपीईसी) के साथ परामर्श करके अथवा बिना परामर्श के यातायात प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार की जाती हैं और उनका कार्यान्वयन किया जाता है;
- विशेषकर विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों आदि में अग्निशमन उपायों के अनुपालन और आपदा प्रबंधन अपेक्षाओं का निरीक्षण करना।
- एसटीएफ संशोधन कर सकता है/अन्य कोई मद जोड़ सकता है जो दिल्ली में पर्यावास के सुधार के अनुरूप है।

### 4. विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की भूमिका और कार्य

- स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निदेश देना कि सभी ले-आउट योजनाएं, स्थानीय क्षेत्र योजनाएं अवसंरचना प्रावधानों, पार्किंग, यातायात प्रबंधन के संबंध में संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा आरम्भ की जा रही हैं तथा सभी सांविधिक अनुमोदन भी समयबद्ध तरीके से प्राप्त किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निदेश देना कि ले-आउट योजनाएं सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ समन्वय से तैयार की जाती हैं।
- सेवा-प्रदाता एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश देना कि विभिन्न सुविधाओं के मूल्यांकन और संवर्धन हेतु अपेक्षित सभी संगत आंकड़ें एक समयबद्ध तरीके से मुहैया कराये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों को अनधिकृत निर्माण, भूमि के दुरुपयोग, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और पाई गई अन्य किसी अनियमितताओं की निगरानी सुनिश्चित करना है जो मुख्य योजना के उपबंधों अथवा किसी विद्यमान नियम के अनुरूप नहीं है।
- सुनिश्चित करें कि शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) एक संघटित और एकीकृत वेब पोर्टल का गठन करेगा, जिसमें एक जगह पर सभी शिकायतों/मामलों को अभिलेखबद्ध किया जा सकता है, जिनकी समीक्षा एस. टी. एफ. द्वारा इनकी बैठकों में की जाएगी। यदि स्थानीय निकायों के समक्ष कोई समस्या आती है या मुख्य योजना में कोई अस्पष्टता या असमान मानदंड हैं, तो उसे एस. टी. एफ. के संज्ञान में लाया जाएगा और यदि आवश्यक हो, चर्चा और विचार-विमर्श के पश्चात, आवश्यक संशोधन का सुझाव दिया जा सकता है जिन्हें वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य योजना में शुरू किया जा सकता है।
- स्थानीय निकायों और आर. डब्ल्यू. ए/व्यापारी संघ के परामर्श से प्रबंधन योजना (परिसंचरण, पार्किंग) की तैयारी के लिए स्थानीय निकायों और यातायात पुलिस को निर्देशित करना।

- यातायात के प्रवाह को सुगम बनाने हेतु किसी भी प्रकृति के मार्ग अवरोधकों को हटाने के लिए स्थानीय निकायों और यातायात पुलिस को निर्देशित करना।
  - फुटपाथ, पैदलपथ, अंडरपास और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय निकायों और दिल्ली पुलिस को निर्देशित करना।
  - दिल्ली के हरित क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण को हटाने के लिए स्थानीय निकायों और दिल्ली पुलिस को निर्देशित करना।
  - अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने/कार्य करने में किसी भी स्थानीय निकाय के विफल होने पर गड़बड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव करना।
  - स्थानीय निकायों को हर महीने की 25 तारीख को समिति के समक्ष वास्तविक कार्यस्थल स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करना, जिसमें कानून के अनुसार शुरू किए जाने वाले कार्यों के साथ-साथ उल्लंघन, यदि कोई हो, और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बारे में बताया गया हो।
  - मुख्य योजना मानदंडों और नगर निगम कानूनों के पालन के बारे में, सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए स्थानीय निकायों को निर्देशित करना, विशेष रूप से स्वीकृत सीमा के भीतर परिसम्पत्तियों और निर्माण के उपयोग के संबंध में।
  - स्थानीय निकायों, दिल्ली पुलिस, दि.वि.प्रा. और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मध्य बेहतर समन्वय के लिए उपायों का सुझाव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधन में कोई कमी नहीं है।
  - स्थानीय निकायों को किए गए उल्लंघनों की तस्वीर लेने और वीडियो बनाने और ऐसे उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए साक्ष्य के रूप में उनका उपयोग करने के लिए अपने फील्ड कर्मचारियों को जीपीएस सक्षम कैमरे प्रदान करने के लिए निर्देशित करना।
  - स्थानीय निकायों को अलग-अलग इलाकों के निर्मित क्षेत्र की सीमा दर्शाने वाले जीपीएस कोऑर्डिनेट प्राप्त करने के लिए निर्देशित करना ताकि निर्माण क्षेत्र की सीमा दिखाई दे ताकि किए जा रहे किसी भी नए निर्माण की जांच की जा सके जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विधिसम्मत है या नहीं।
5. एसटीएफ की बैठक हर महीने कम से कम एक बार होगी। एसटीएफ की मासिक रिपोर्ट माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी। सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार हासिल प्रगति पर और भावी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए तिमाही समीक्षा बैठकों का आयोजन करेंगे।
6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 15(03)2019/एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

**S.O. 1243(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) (aa) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the following Regulations:

### Constitution of Special Task Force (STF)

It has been noticed that there are some violations of building bye-laws and provisions of Master Plan for Delhi-2021 relating to, inter-alia, construction activities and land use in Delhi. Besides, the problem of illegal constructions and encroachments including on public lands, parking spaces, roads, pavements, etc. has also come to notice. It seems there is lack of coordination among various agencies and timely & effective action by such authorities entrusted with the task of ensuring compliance with the provisions of the applicable Acts, Rules & Regulations in this regard.

2. In view of the above, a Special Task Force to comprehensively address the aforementioned issues and to oversee the enforcement of provisions of MPD-2021 and the Unified Building Bye-laws for Delhi is hereby constituted with the following composition:

1.	Vice Chairman, Delhi Development Authority (DDA)	-	Chairperson
2.	Secretary to Lt. Governor of Delhi	-	Member
3.	Chairperson, New Delhi Municipal Council	-	Member
4.	Commissioner, South Delhi Municipal Corporation	-	Member
5.	Commissioner, North Delhi Municipal Corporation	-	Member
6.	Commissioner, East Delhi Municipal Corporation	-	Member
7.	CEO, Delhi Jal Board.	-	Member
8.	Secretary / Commissioner, Transport, GNCTD	-	Member
9.	Secretary, UD/Director Local Bodies, GNCTD	-	Member
10.	Secretary, Revenue/Divisional Commissioner, GNCTD	-	Member
11.	Spl commissioner Police (Law & order), Delhi Police	-	Member
12.	Spl. Commissioner Police,(Traffic), Delhi Police	-	Member
13.	Chief Fire Officer, GNCTD	-	Member
14.	Representative of Central Ground Water Board	-	Member
15.	Chief General Manager (Tech.), NHAI	-	Member
16.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests, GNCTD	-	Member
17.	Dy. Superintending Archaeologist, ASI	-	Member
18.	Superintending Engineer, DUSIB	-	Member
19.	Commissioner (Planning), DDA	-	Member Secretary

### **3. Objectives of STF:**

- Identify encroachments on Government land in different localities of NCT Delhi and to reclaim the encroached Government land;
- Suggest course of action to the Government of India with respect to the unauthorised colonies of NCT, Delhi and regular follow-up till its resolution;
- Over see the effective and proper enforcement of the applicable laws by the local bodies particularly with respect to use violation and unauthorised construction;
- Monitor action taken by the local bodies with respect to the use violations and unauthorised construction;
- Identify the areas of congestions of traffic in different parts of NCT, Delhi and suggest measures to remedy the same to the local bodies and other agencies;
- See that the traffic management strategies are devised and implemented with or without consultation with traffic experts, planners and the Unified Traffic & Transportation Infrastructure (Plg. & Engg.) Centre (UTTIPEC);
- Oversee compliance of fire safety measures and disaster management requirements particularly, in schools, colleges, hospitals etc.
- The STF may modify/ add any other object which is in line with improvement of habitat in Delhi.

### **4. Role & Functions of STF:**

- Direct the local bodies to ensure that all the layout plans, local area plans are being taken up by the concerned local bodies with respect to infrastructure provisions, parking, traffic management and also all the statutory approvals are obtained in a timebound manner.
- Direct the local bodies to ensure that the layout plans are prepared in coordination with all the service providing agencies.
- Direct the service providing agencies to ensure that all the relevant data required for assessment and augmentation of various facilities are provided in a timebound manner.

- Direct the local bodies to ensure monitoring of any unauthorized construction, misuse of land, encroachment on public land and any other irregularities observed which is not in conformity with the provisions of the Master Plan or any other prevailing law.
  - Ensure that Urban Local Bodies (ULBs) shall take up formation of a unified and integrated webportal wherein all the complaints/ issues within an area may be recorded which shall be reviewed by the STF in its meetings. In case, any problem is faced by local bodies or there are any ambiguity or differential norms in the Master Plan, the same shall be brought to the knowledge of the STF and if required, after discussions and deliberations, the necessary amendments may be suggested to be carried out in the Master Plan taking into consideration the ground realities.
  - Direct the local bodies and the Traffic Police for preparation of Management Plan (Circulation, Parking) in consultation with the localbodies and the RWAs/Traders Associations.
  - Direct the local bodies and the traffic police to remove the road blocks of any nature to ease the flow of traffic.
  - Direct the local bodies and the Delhi Police to clear encroachments on footpaths, pavements, underpasses and other public areas.
  - Direct the local bodies and the Delhi Police to remove encroachment from Green areas of Delhi and other public places.
  - Propose action against the erring officials in case any local body fails to adhere/act on the irresponsibilities.
  - Direct the local bodies to submit the details of the Actual Site Position to the Committee on 25th of every month out lining violations if any and showcause notice issued alongwith the course of actions to be taken as per the law.
  - Direct the local bodies to launch public awareness campaigns about following the Master Plan norms and municipal laws particularly with respect to uses of properties and construction within the sanctioned limit.
  - Suggest measures for better co-ordination amongst the localbodies, Delhi Police, DDA and the GNCTD to ensure that there is no crisis in enforcement.
  - Direct the local bodies to provide its field staff with GPS enabled cameras to take photographs and videos of violations and to take them as evidence for action against such violation.
  - Direct the local bodies to obtain GPS co-ordinates of different localities showing the extent of constructed area so that any fresh construction which is taking place may be checked to ensure whether the same is in accordance with law.
5. The STF shall meet atleast once every month. The monthly report of the STF will be sent to the Hon'ble LG, Delhi and Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. Of India. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India will hold quarterly review meetings on the progress achieved and for reviewing the plans for future.
6. This issues with the approval of the competent authority.

[F. No. 15(03)2019/MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.